STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
(An Autonomous organisation of Education Department Govt. of NCT of Delhi)
VARUN MARG, DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024

F. No.3(5)(i)/Misc./Acad./SCERT/2022-23/4833-45 Dated 11.07.22

To

The Principal
DIET PP/KP/RKP/MB/Dilshad Garden/KKD/RN/GH/DG
Delhi/New Delhi

Sub:- Forwarding of Letter dated 25th April, 2022 and its enclosures.

Sir/Madam

Please find enclosed herewith the copy of Letter no. F.No. OSD to Min./CO/2022/3623 dated 25.4.2022 received from Mr. Vishal Verma, OSD to Minister, Camp Office of the Minister, Social Welfare, RCS, SC/ST/OBC/ Welfare & Gurudwara Election, Bunglow No. 4, Plot No. 8, Raj Niwas Marg, New Delhi-110054 **alongwith the copy of the representation received from Sh. Nathu Ram Nishad, Secretary General, Blind Person Association, R/o 373, Lancer Road, Timarpur, New Delhi-110054.**

This is for kind information and further necessary action at your end please.

(Dr. Nahar Singh)
Joint Director-Academic

F. No.3(5)(i)/Misc./Acad./SCERT/2022-23/ Dated

Copy to:-

1. PS to Director, SCERT
2. PA to Joint Director, SCERT
3. Dr. V.K. Pathak, Nodal Officer INSET Cell/In-charge (Web Information Manager), SCERT.
4. Principal B.Ed., SCERT.
5. Guard File.

Joint Director-Academic

D.191/INSET, SCERT 12/07/22

DE GR

All DIETs / SCERT / B.Ed.

SO (Acad) P. put up

CAMP OFFICE OF THE MINISTER
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(SOCIAL WELFARE, RCS, SC/ST/OBC WELFARE & GURUDWARA ELECTION)
BUNGALOW NO. 4, PLOT NO. 8, RAJ NIWAS MARG, NEW DELHI-110054
Phone No. 011-23992533 Email Id: minswscst.delhi@gmail.com

F. No. OSD to Min./CO/2022/ 3623 Dated: 25.04.2022

Undersigned is directed to forward the representation received from Sh. Nathu Ram Nishad, Secretary General, Blind Person Association, R/o 373, Lancer Road, Timarpur, New Delhi-110054. It is regarding allowances of blind officers / teachers.

This is for necessary action deemed fit in the reference.

Encl: As Above

25/04/2022

(Vishal Verma)
OSD to Minister

4384/DE 12/5/22

Director (NCERT)
National Council of Educational Research and Training
Sri Aurobindo Marg, NCERT campus
Adchini, New Delhi-110016

975/SE 06/05/22

Chairman (SCERT)
State Council of Educational Research and Training
Varun Marg, Block C, Defence Colony
New Delhi-110024

Diary No. 924
18 MAY 2022
S.C.E.R.T.
Defence Colony, New Delhi

Pr. Secretary
Department of Social Welfare
Govt of NCT of Delhi

Dir SCERT

JD 18/5/22

Copy to :- Sh. Nathu Ram Nishad, Secretary General, Blind Person Association, R/o 373, Lancer Road, Timarpur, New Delhi-110054 for information.

5720/JDB 7/7/22

11/4

सेवा में

दिनांक - 18.4.20

श्री राजेन्द्र पाल गौतम
समाज कल्याण मंत्री
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली

विषय:- दृष्टिबाधितों / विकलांगों / विशेषदक्षों के लिए अपमानजनक / प्रतिकूल मुहावरे, कहावतें, रीतियाँ, जुमलो, वाक्यांशों आदि ..... को साहित्यिक एवं आम जीवन में प्रचलन के प्रयोग को निषिध / वर्जनीय एवं दण्डनीय बनाने हेतु।

मान्यवर महोदय! / महोदया!,

मैं शत प्रतिशत / पूरी तरह से दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। दृष्टिबाधितों / दृष्टिहीनों / विशेषदक्षों को अपमानित करने वाले मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, शब्दावली / शब्दावलियाँ, दृष्टान्तों, काव्यांशों, वाक्यांशों, हमारे प्रतिकूल रीति-रिवाजों, प्रथाओं, जीवन के चाल-चलनों, गलत इशारेबाजी और शरीर के गलत हाव-भावों और अपमानित / अपमाननीय रंग-ढंग का प्रयोग

निषेध किया जाय (विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 सेक्शन 75, 80 तथा अन्य अनेक धाराओं के आदेशानुसार)।

दृष्टिहीनों / दृष्टि बाधितों / विकलांगों / विशेषदक्षों के लिए अपमानजनक / उनके विरोधी मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, शब्दावली, दृष्टान्तों, काव्यांशों, वाक्यांशों, हमारे प्रतिकूल रीति-रिवाजों, प्रथाओं, जीवन के चाल-चलनों और रंग-ढंग से हम मानसिक रूप से प्रताड़ित, परेशान और अपमानित होते हैं अतः इनका प्रयोग वर्जित और दण्डनीय किया जाय (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये उठाये गये कदमों की तरह) (विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 सेक्शन 93 के आदेशानुसार)।

इस कार्य के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग समितियाँ अविलम्ब / शीघ्रतम बनायी जायें, जिनमें हमारे संगठन को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय तथा एन. सी. ई. आर. टी. (NCERT), राज्यों की एस. सी. ई. आर. टी. (SCERT), मुद्रण / लेखन मीडिया / दूरदर्शन / सभी टी. वी. चैनल्स, आकाशवाणियों सहित संचार के विभिन्न माध्यमों को तुरंत समुचित आदेश दिये जांय। यह कार्य

भारत में प्रचलित सभी भाषाओं, बोलियो तथा उप-बोलियों में भी किया जाय।

हम दृष्टिहीनों पर अपमानजनक शेरो-शायरी / अपमानजनक प्रचलित जुमलो / वाक्यांशों / शब्दों के प्रयोग प्रचलन पर रोक लगाई जाए और उनका प्रयोग और प्रचलन दण्डनीय बनाया जाय। इसी तरह विकलांगता के किसी प्रकार पर भी अपमानित करने वाली शब्दावली / वाक्यांशों / जुमलो / शब्द खण्डों / मुहावरों / लोकोक्तियों / कहावतों / कहानियों / दृष्टान्तों के प्रचलन और प्रयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाते हुए उनके उपयोग को दण्डनीय बनाया जाय। विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 75 और 80 के अंतर्गत ऐसे सुधारात्मक कार्य आदेशीत हैं। मुख्य आयुक्त विकलांगजन भारत और राज्यों के विकलांगजन के आयुक्तों को विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के सेक्शन 75 और 80 ऐसे सुधारात्मक कदम उठाने और सुधार करवाने का आदेश देते हैं।

विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 75, 80, 93 तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत हम दृष्टिबाधितों / विकलांगों / विशेषदक्षों को प्रताड़ित करने वाले / अपमानित करने वाले /

मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचाने वाले सभी कार्य / स्थितियां / व्यवस्थाएं / साहित्य / नियम कानून / दृष्टिहीनता / अंधता का गलत उदाहरण / उसकी गलत ढंग / नकारात्मक प्रस्तुती / अन्य वह सब कुछ वर्जनीय और दण्डनीय है, जिनसे दृष्टिबाधितों सहित विकलांग वर्ग शारीरिक / मानसिक / आर्थिक या अन्य किसी प्रकार से प्रताड़ित होता हो। अत: इन सबको या उपरोक्त दृष्टिहीन / विकलांग विरोधी अवांछित अपमानित करने वाली / प्रताड़ित करने वाली / हानि पहुंचाने वाली स्थितियों / वातावरण को तुरंत प्रभाव से रोका / सुधारा जाय और उनके प्रयोग / प्रचलन को कड़ाई से दण्डनीय बनाया जाए। यह हमारे संगठन की पुरजोर माँग है।

किसी दृष्टिवान से कोई गलती हो जाने पर यह वाक्य न बोलें —
"अन्धे हो क्या?" या "वहाँ तो लोग अन्धे बैठे हैं कुछ देखते ही नहीं हैं पता नहीं कैसे काम करते हैं।"

गलतियों पर अन्धों / दृष्टिबाधितों का उदाहरण देने से समाज में उनके प्रति अलग / गलत संदेश जाता है और हम दृष्टिबाधित व्यक्ति आहत अनुभव करते हैं।

किसी से कोई गलती हो जाती है या किसी से मांगी गई चीज गलत आ

जाती है तो लोग अक्सर / ज्यादातर यह कह बैठते हैं—

"अन्धे हो क्या?" या "ये लोग तो अन्धे होकर काम करते हैं इसलिए गलती करते हैं।"

ऐसे वाक्यों का प्रचलन समाज में रोका जाना चाहिए / प्रतिबंधित होना चाहिए / दण्डनीय होना चाहिए क्योंकि इन वाक्यों से हम दृष्टिबाधित व्यक्तियों- (जो समाज के लिए लगातार अति कर्मठता की उत्तम प्रेरणा हैं। सफलताओं के शिखर को छूकर समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण हैं) - का घोर अपमान होता है।

अन्धा, अन्धे, अन्धो, अंधता, अंध, सूर, सूरदास, सूरे, सूरा या इससे मिलते-जुलते अपमानजनक पर्यायवाची शब्द आम जीवन और साहित्य से हटाये जांय जिससे कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बनने वाले खराब माहौल को रोका जा सके / सुधारा जा सके। जहाँ दृष्टिबाधितों, विकलांगों को अपमानित करने वाले शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, कहावतों, रीतियों, लेखन सामग्री नहीं हटाई जा सकती, वहाँ पाद-टिप्पणी / फुटनोट लिखे जांय और वहाँ ऐसे अपमानजनक शब्दों के प्रयोगों

को वर्जित एवं दण्डनीय बताया / बनाया जाय।

सभी धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन किया जाय और उनमें जहाँ कहीं आध्यात्मिकता, पुनर्जन्म, पाप-पुण्य और भाग्यवाद के नाम पर दृष्टिबाधितों / दृष्टिहीनों / विकलांगों के प्रतिकूल अपमानजनक प्रताड़ित करने वाले अंशो को खोज कर हटाया जाय या फुटनोट / पाद टिप्पणी हमारे गरिमा और सम्मान में लिखी जाय।

माननीय महोदय / महोदया, उपरोक्त विषय के संबंध में / उक्त तथ्यों के प्रकाश में आप बदलते समय के संदर्भों का, मानव अधिकारों का संविधान और उसकी प्रस्तावना में निहित व्यक्ति की मानवीय गरिमा का, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का, विकलांगों / विशेषदक्षों संबंधी नीतियों, नियम कानून और समझौतों का, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 की विभिन्न धाराओं के आदेशों का ध्यान रखते हुए हमारी ऊपर लिखी माँग पर सकारात्मक विचार करते हुए त्वरित एवं सख्त कदम उठा कर लाखों, करोड़ों दृष्टिबाधितों / विकलांगों / विशेषदक्षों को हर तरह की प्रताड़ना से उबारते हुए गरिमा एवं सम्मानपूर्ण जीवन और वातावरण दिलाकर हमें अनुगृहीत करेंगे।

कृपया हमारे इस पत्र पर कृत कार्यवाही/ उठाए गए कदमों से मुझे/संगठन को अवश्य अवगत भी कराने का कष्ट करें।

हर तरह के सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा सहित।

भवदीय

नाथू राम निषाद/Nathu Ram Nishad
महासचिव/Secretary General
BLIND PERSON ASSOCIATION
पंजीकरण संख्या/Registration No. 14914
373, लांसर रोड/373, Lancer Road
तिमारपुर, दिल्ली–110054/Timarpur, Delhi-110054

नाथू राम निषाद
महासचिव
ब्लाइंड परसन्स ऐसोशिएशन
(BPA)
373, लांसर्स रोड़
तिमारपुर दिल्ली - 110054

टिप्पणी:- बानगी/नमूना/सैम्पल/उदाहरण के लिए हम दृष्टिबाधितों और विकलांगों को अपमानित करने वाले मुहावरों/लोकोक्तियों/इडियम्स (IDIOMS)/फ्रेजज (PHRASES)/कहावतों आदि की संक्षिप्त सूची साथ लगा रहे हैं। जिससे आपको हमारे/हमें अपमानित/आहत/प्रताड़ित होने का किंचित अहसास हो सकेगा।

Insulting and torturing IDIOMS & PHRASES for VISUALLY CHALLENG /DIFFERENTLY ABLED PERSONS

1. Turn a blind eye to (something)- To knowingly ignore some wrongdoing.
2. stone-blind- *slang* Very drunk.
3. Blind as a bat- An expression meaning not being able to see very well.

Eg "She can't see anything without her glasses on, she's blind as a bat."

4. Blind date-Going out with someone whom you have never met, usually arranged by a mutual friend.
5. Blindside someone- An expression meaning to simply to do or say something the person is utterly unprepared for

Eg "Robby blindsided Emily when he told her he was breaking up with her, she was totally shocked."

6. fall on deaf ears-If a suggestion or warning falls on deaf ears, no one listens to it.

Eg Their appeals to release the hostages fell on deaf ears.

7. Paralysed economy
8. Emotional cripple-
   Someone who is unable or finds it difficult to form or express emotions, t hus hindering their ability to properly relate to other people.
9. Institutions running on crutches
10. Turn a deaf ear- To ignore someone when they complain or ask for something.

Eg.In the past they've tended to turn a deaf ear to such requests.

11. Blind alley- A situation or method that is not effective or will not produce results:
12. Blind call -To call or visit a possible customer to try to sell them something without being asked by the customer to do so.
13. Blind pool- An investment fund in which the investors do not know what type of business activity or companies they are investing in.
14. Blind side- The area behind and slightly to one side of you that you cannot see, for example when you are driving.
15. Deaf as a post -Unable to hear well or at all. Potentially offensive.

Eg.*I hope Grandpa wears his hearing aid to dinner tonight because he's as deaf as a post without it.After years of listening to loud rock music, I'm deaf as a post*

16. A dialogue of the deaf-
    A situation in which people share their views without actually listening or acknowledging each other.
    Eg.*As long as those two are still in a dialogue of the deaf, we'll never reach an agreement.*
17. Be as deaf as a post-To be unable to hear well or at all.
    Eg.
    I hope grandpa wears his hearing aid to dinner tonight because he's as deaf as a post without it.
18. Fall on deaf ears- To be ignored.
19. Preach to deaf ears-
    To present arguments to or attempt to persuade or advise those who have no inclination to change their opinion or belief.
    Eg.-
    You're preaching to deaf ears if you think you can convince these kids to st ay away from alcohol before they turn 21.
20. Stone deaf Without any ability to hear whatsoever.
    Eg-
    The doctors tell me that, unless I give up playing music, I'll be stone deaf by the time I'm 40.
21. Turn a deaf ear (to someone or something)

To ignore or refuse to listen to someone or something; to fail to pay attention to something someone says.

22. The lunatics are running the asylum

The people least capable of running a group or organization are now in charge. Said especially when the result is total chaos or calamity.

मुहावरे / लोकोक्तियों की संक्षिप्त सूची जो हमें प्रताड़ित, अपमानित और आहत करती हैं

1. अक्ल के अंधे।
2. अंधा बाँटे रेवड़ी अपने - अपनों को देय।
3. अंधे की लाठी।
4. अन्धा बनना।
5. अन्धा होना।
6. आँख का अन्धा नाम नैनसुख।
7. अन्धे की मक्खी राम उड़ावे।
8. राम मिलाये जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी।
9. आँख न दीदा, माँगे मलीदा।
10. अन्धे के आगे रोये, अपना दीदा खोये / अन्धे के आगे रोना, अपने नैना खोना।
11. अन्धे के हाथ बटेर लगना।
12. अंधो में काना राजा।
13. अंधी पकाये कुत्ता खाये / अंधी पीसे कुत्ते खाएँ।
14. आँख का अंधा गाँठ का पूरा।
15. सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है / सावन के अंधे को हरियाली दिखती है।
16. अंधे की लकड़ी होना।
17. अन्धा [illegible] अन्धा ठेलिया, अन्धायि कुप पडन्त (कबीर)
18. [illegible] शिष बधिर, अन्ध का लेखा।
एक न सुनइ, एक नहीं देखा॥ (तुलसी)
19. अंधी अंधी तेरा भईया आया।
(अन्धी कहती है मैं क्या जानूँ मेरा भईया आया
मैं तो तब जानूँ जब मेरी गोद में बैठ जाए)
20. अन्धे की दौड़ बिटौड़े तक
* बिटौड़ा - उपले रखने का गोबर से बनाया गया खोल

20. अंधो की जमात

नोट :- मुहावरे, लोकोक्तियों, इडियम्स (IDIOMS), फ्रेज़ेज आदि का लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक या प्रतीकात्मक रूप से किसी भी प्रकार के अर्थ अभिव्यक्ति के लिए रचना की गई हो लेकिन इनका अभिधार्थ अर्थात सीधा-सीधा अर्थ दृष्टिबाधितों/विशेषदक्षों को अपमानित और प्रताड़ित करने वाला होता है, समाज में इनका गलत संदेश जाता है अतः हम ऐसे मुहावरे/लोकोक्तियों/कहावतों/इडियम्स (IDIOMS) और फ्रेज़ेज (PHRASES) का प्रयोग/प्रचलन पूरी तरह निषिद्ध एवं दण्डनीय बनाने की पुरजोर माँग करते हैं।

नाथू राम निषाद/Nathu Ram Nishad
महासचिव/Secretary General
BLIND PERSON ASSOCIATION
पंजीकरण संख्या/Registration No. 11914
373, लांसर रोड/373, Lancer Road
तिमारपुर, दिल्ली–110054/Timarpur, Delhi-110054